

JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74899DL1967PLC004704

Reg. Off.: B-1, 34/1, Vikas House, Vikas Path Marg, East Punjabi Bagh, Delhi 110026;

Email ID: justridelimited@gmail.com ;

Website: www.justrideenterprises.com

July 22, 2023

Listing Compliance Department

BSE Limited

Phirozee Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street, Fort,

Mumbai - 400 001

Ref Scrip Code: 531035_JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED (ISIN: INE432F01024)

SUB: INTIMATION REGARDING COMPLETION OF DISPATCH OF NOTICE OF 57TH AGM AND SUBMISSION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT MADE IN THIS REGARD

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, we wish to inform you that the Notice calling 57th Annual General Meeting ("AGM") of the Company has been dispatched through National Securities Depository Limited (NSDL) by e-mail on Friday, July 21, 2023 to all the Members of the Company whose name appeared in the Register of Members as on Friday, July 14, 2023.

The 'Notice of AGM, E Voting information and Book Closure' has been published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers dated Saturday, July 22, 2023. A copy of the publication in newspapers is attached herewith for your ready reference and record.

The above information is also available on the company's website at www.justrideenterprises.com

You are requested to take the same on your record.

Thanking You,

For **JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED**

Vasudha Aggarwal

Company Secretary & Compliance Officer



Branch : Civil Lines, 89, C-Civil Lines, Ayub Khan Chauraha, Bareilly, Distt. Bareilly 243 001 (U.P.), India

POSSESSION NOTICE (Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002)

Notice is hereby given under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with the rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank issued notice of the date mentioned against account and stated herein after calling upon them to repay the amount within 60 day from the date of receipt of said notice.

Table with 4 columns: Sr. No., Name of Borrower/Guarantor, Description of the Movable/Immovable Property, Demand Notice Date. Contains details for two borrowers.

Date : 22.07.2023 Place : Bareilly Authorised Officer Bank of Baroda



POSSESSION NOTICE (for immovable properties under Rule 8(1))

The Authorized Officer of Bank of Baroda under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice on the date mentioned against account and stated hereunder calling upon the borrower/guarantor to repay the amount mentioned in the notice being together with further interest at contractual rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. till date of payment within sixty days from the date of receipt of said notice.

Table with 4 columns: Name of Borrowers/Guarantor, Details of the Property, Dt. of dem- and notice, Amt. Due. Lists details for three borrowers.

Date : 22-07-2023 Authorised Officer

DEMAND NOTICE

Under Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act) and Rule 3(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules), in exercise of powers conferred under Section 13(12) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorized Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Inflow Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notice under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them.

Table with 4 columns: Name of the Borrower (s)/Guarantor (s), Demand Notice Date & Amount, Description of secured asset (immovable property), Dt. of dem- and notice. Lists details for one borrower.

Date: Delhi, Date: 22-07-2023 Sd/- Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

Advertisement for Indian Express featuring a photo of a man and the text 'I choose substance over sensation. Inform your opinion with credible journalism.'



POSSESSION NOTICE (For Movable/Immovable Properties)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Punjab National Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice(s) on the dates mentioned below, calling upon the below mentioned borrowers/mortgagors/guarantors to repay the amount mentioned herein below within 60 days from the date of notice/ date of receipt of the said notices.

Table with 5 columns: Sr. No., Name & Address of Borrower Mortgagor & Guarantor, Description of the property Mortgaged/Hypothecated, Date of Possession, Date of Demand Notice & Outstanding Amount. Lists details for four borrowers.

Date : 22.07.2023 Place : Haldwani, Distt. Nainital Authorised Officer

Advertisement for Canara Bank E-Auction of Properties on 23.08.2023. Last Date of EMD 22.08.2023. Regional Office Ghaziabad.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditors, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorized Officer of Canara Bank, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 23.08.2023 from 12.30 A.M. to 01.30 P.M. through E-Auction under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Table with 5 columns: Branch Office/ Name of the Borrowers/Sureties, Notice Due Amount, Description of Property/ies, EMD (10% and BID Demand Draft in the Name of the Authorised Officer of Canara Bank or RTGS/NEFT/Fund Transfer), Reserve Price (Rs.) and EMD (Rs.), Date & Time of E-Auction, The Property Can be Inspected, with prior Appointment with Authorised Officer on. Lists details for one borrower.

Date: 15.07.2023 Sale Notice Date: 15.07.2023 Authorised Officer, Canara Bank

JUSTRIDE ENTERPRISES LIMITED

Registered Office: B-1, 34/1, Vikas House, Vikas Path Marg, East Punjabi Bagh, Delhi 110026

Notice of Annual General Meeting & Book Closure

Notice is hereby given that the 57th Annual General Meeting ("AGM") of the members of Justride Enterprises Limited will be held on Wednesday, August 16, 2023 at 4:30 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means (VC/OAVM) facility, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 (the Act), General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020 followed by General Circular No. 02/2021 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") circular dated 12 May 2020 and 15 January 2021, to transact the businesses as set out in the Notice of 57th AGM.

- 1. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means in the general meeting is Friday, August 04, 2023.
2. The remote E-voting period will commence from Sunday, August 13, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Tuesday, August 15, 2023 at 5:00 P.M. (IST). Remote E-voting shall not be allowed beyond the aforesaid period.
3. The persons who have acquired shares and have become member of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from National Securities Depository Limited (NSDL) on the help desk No. 1800 1020 990 / 1800 22 44 30 or send an e-mail to evoting@nsdl.co.in
4. A person whose name is recorded in the Register of Members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting as well as voting in the general meeting.
5. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM.
6. The manner of registration of email addresses of those members whose email addresses are not registered with the Company/RTA/DP is available in the AGM Notice.
7. The details of Scrutinizer and Procedure for Speaker Registration are provided in the AGM Notice.

Date: July 22, 2023 Place: New Delhi For Justride Enterprises Limited Vasudha Aggarwal Company Secretary & Compliance Officer

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

Advertisement for Punjab National Bank logo and tagline: "...the name you can BANK upon!"

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the constructive/physical/ symbolic possession of which has been taken by the Authorized Officer of the Bank/ Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Bank/ Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

Table with 6 columns: Sr. No., Name of the Branch, Name of the Account, Date of Demand Notice U/s 13(2) of Sarfaesi Act 2002, Description of Immovable Properties Mortgaged / owner's Name (Mortgagors of Property[ies]), RESERVE PRICE (Rs. in Lakhs), DATE/ TIME OF E-AUCTION, Details of the encumbrances known to the secured creditors & Authorised Officer. Lists details for three properties.

BRIEF TERMS AND CONDITIONS OF E-AUCTION SALE: 1. The sale will be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions 2. The properties are being sold on "AS IS WHERE IS BASIS" and "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS". 3. The particulars of Secured Assets specified in the Schedule herein above stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. 4. The sale will be done through e-auction platform provided at the Website https://www.msstcecommerce.com on above mentioned dates. (5) Any charges of concerned revenue authority if any will be borne by purchaser (6) For further details and complete Terms & Conditions of the sale, please refer to: www.lbapi.in, www.msstcecommerce.com, https://procure.gov.in/epublish/app. STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

Date: 21-07-2023, Place : Greater Noida AUTHORIZED OFFICER, PUNJAB NATIONAL BANK

बलात्कार की घटनाओं को लेकर भाजपा ने कहा

राजस्थान में कानून-व्यवस्था ध्वस्त, जंगलराज की स्थिति

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राजस्थान में हर दिन 17 से 18 बलात्कार की घटनाएं होने का दावा करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस मरुभूमि प्रदेश में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है और 'जंगलराज' कायम है।



भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा महासचिव व राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और पूरे प्रदेश में जंगलराज है। सरकार और पुलिस प्रशासन घटनाओं को दबाने में लगे हैं। हमने करौली में भी यही देखा, जब वहां एक दलित युवती का अपहरण किया गया, उसके साथ

के बारे में जब कांग्रेस की महिला विधायक से प्रश्न किया जाता है तो वह कहती हैं कि सुरक्षा घरे में रहने के बावजूद वह सुरक्षित नहीं है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच विवादों की ओर इशारा करते हुए गहलोत ने कहा कि साढ़े चार साल तक राजस्थान में किरसा कुर्सी का चलता रहा। एक कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं था और दूसरा कुर्सी (की चाहत) को छोड़ने को तैयार नहीं था। इनके इस झूठे अंत में विधानसभा होने हैं। इसके मंडेनजर भाजपा अपराध विशेषकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को मुद्दा बनाकर गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है।

बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि इस सब के बाद जब युवती की मां पुलिस के पास गई तो पुलिस ने कहा कि केस मत करो, समझौता कर लो वरना तुम्हें भी अंदर कर दिया जाएगा। राजस्थान में ऐसी घटनाएं हर रोज हो रही हैं।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं

फर्जी खबर मामले में केंद्र ने कोर्ट से कहा

‘तथ्य जांच इकाई’ 4 सितंबर तक अधिसूचित नहीं करेंगे

मुंबई, 21 जुलाई (भाषा)।

केंद्र ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ फर्जी सामग्री को चिह्नित करने के लिए हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) नियमों के तहत 'फैक्ट चेक यूनिट' (तथ्य जांच इकाई) को चार सितंबर तक अधिसूचित नहीं करेगा।

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ से केंद्र द्वारा नियमों को सही ठहराने के लिए दलीलें पेश करने के वास्ते अदालत द्वारा निर्धारित पहले की तारीखों को स्थगित करने की मांग की। पीठ संशोधित आइटी नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। 'स्टैंड-अप कामेडियन' कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया और एसोसिएशन आफ इंडियन मैगजीन्स ने नियमों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर उन्हें मनमाना और असंवैधानिक बताया तथा दावा किया है कि उनका नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं जिसके बाद अदालत ने मेहता के पक्ष रखने के लिए मामले में सुनवाई 27 और 28 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी है। मेहता ने शुक्रवार को अदालत से मामले में सुनवाई अगस्त के अंत में रखने का अनुरोध किया। मेहता ने कहा, 'मेरी कटिबद्धि यह है कि उच्चतम न्यायालय को संविधान पीठ दो अगस्त से अनुच्छेद 370 (जिसने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था) से संबंधित मामलों में दलीलें सुनना शुरू कर देगी। मुझे इसके लिए कुछ तैयारी करने की जरूरत है।'

राज्यसभा में दिए मेरे पूरे भाषण

को कार्यवाही के विवरण में रखा जाए : डेरेक ओ'ब्रायन

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र लिखकर मांग की है कि सरन में 20 जुलाई को दिए गए उनके पूरे भाषण को सदन की कार्यवाही में रखा जाए क्योंकि उन्होंने मणिपुर में चिंताजनक स्थिति पर सरकार से 'सही' सवाल किया था। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता के भाषण के कुछ हिस्सों को कार्यवाही से हटा दिया गया था। डेरेक ने कहा कि 20 जुलाई, 2023 को मेरे व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाए गए मुद्दों के शब्दों को हटा दिया गया। 20 जुलाई, 2023 को मेरे द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न राज्यसभा में सबसे बड़े विपक्षी दलों में से एक के रूप में, मणिपुर राज्य में खरनकाक और तनावपूर्ण कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री और सरकार से विधिवत, सही सवाल करने का एक प्रयास था। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा उठाया गया बिंदु और उसमें पूछे गए सवाल लोकतंत्र के वास्तविक सार के भीतर थे और इसमें 'असंसदीय' कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री से संसद में मणिपुर पर बोलने के लिए कहा था।

डेरेक ने कहा कि पिछले साल लोकसभा सचिवालय ने एक पुस्तिका जारी की थी जिसमें उन शब्दों और अभिव्यक्तियों को सूचीबद्ध किया गया था जिन्हें 'असंसदीय' माना जाना चाहिए। इसमें आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द जैसे शर्मिंदा, गाली-गलौज, विश्वासघात, भ्रष्ट, नाटक, पाखंड और अक्षम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त बातों को ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इस सूची में ऐसे शब्दों की भरमार है जिनका हाल के वर्षों में विपक्ष ने केवल सरकार का पर्ण करने के लिए स्पष्ट रूप से उपयोग किया है। तृणमूल सांसद ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल किए गए शब्दों को 'संघ विरोधी' या 'असंसदीय' घोषित करना विपक्ष को दबाने का स्पष्ट प्रयास है। उन्होंने कहा कि समस्या यह नहीं है कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की 'गारंटी' नहीं देता है, बल्कि यह है कि इस तरह के व्यापक कानूनों के संयोजन के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना आसान है। डेरेक ने कहा कि उपरोक्त तथ्यों और सभापति को दी गई शक्ति के आलोक में, मैं मांग करता हूँ कि मेरे पूरे भाषण को रिकार्ड (सदन की कार्यवाही के विवरण) में रखा जाए।

धन शोधन के मामले में

न्यायालय ने सेंथिल बालाजी की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

उच्चतम न्यायालय ने धन शोधन के एक मामले में तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी तथा उनकी पत्नी मेगाला की याचिकाओं पर शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति एसएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की। मंत्री और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं।



कथित घोटाला उस समय का है जब बालाजी परिवहन मंत्री थे। बालाजी की पत्नी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन को तीसरे न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था।

न्यायमूर्ति एसएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने याचिकाओं पर अगली सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख तय की। मंत्री और उनकी पत्नी ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हैं। बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के अलावा उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में एक सरन अदालत द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने के फैसले को भी वैध करार दिया था। धन शोधन का यह मामला राज्य परिवहन विभाग में 'नौकरी के बदले नगदी' के कथित घोटाले से निकला है। यह

कथित घोटाला उस समय का है जब बालाजी परिवहन मंत्री थे। बालाजी की पत्नी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन को तीसरे न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया था। न्यायमूर्ति कार्तिकेयन खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले के बाद, न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती के निष्कर्षों से सहमत हुए थे। न्यायमूर्ति चक्रवर्ती ने बालाजी की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। तीसरे न्यायाधीश ने माना कि आरोपी को जांच विफल करने का कोई अधिकार नहीं है।

6.36 लाख से अधिक लंबित मामलों में पक्ष है सरकार : मेघवाल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा)।

केंद्र सरकार अदालतों में लंबित 6.36 लाख से अधिक मामलों में एक पक्ष है और अकेले वित्त मंत्रालय 1.79 लाख से अधिक मुकदमों में वादी है। सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अदालतों में लंबित उन मामलों की संख्या के बारे में पूछे गये प्रश्न पर जवाब दिया जिसमें सरकार को पक्ष बनाया गया है। उन्होंने बताया कि ऐसे कुल लंबित मामलों की संख्या 6,36,605 है। मेघवाल ने बताया कि वित्त मंत्रालय 1.79 लाख से अधिक लंबित मामलों में पक्ष है। रक्षा मंत्रालय 87,000 से अधिक मामलों में पक्ष है, वहीं शिक्षा मंत्रालय 17,000 से अधिक मामलों में वादी है। मुकदमों पर खर्च के एक प्रश्न पर विधि मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में 54.35 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहीं 2021-22 में 48.37 करोड़ रुपए खर्च किए गए।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के प्रस्ताव पर फिलहाल आम सहमति नहीं : सरकार

नई दिल्ली, 21 जुलाई (भाषा)।

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जिला स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के प्रस्ताव पर फिलहाल आम-सहमति नहीं बनी है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के विचार पूछे गए थे। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के बीच मतभेद है।

2.90 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन

जम्मू, 21 जुलाई (भाषा)।

जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से 4,600 से अधिक श्रद्धालुओं का एक और जल्था शुक्रवार तड़के कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। वार्षिक अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होने के बाद से कम से कम 2.90 लाख श्रद्धालु अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के दर्शन के लिए आगे की यात्रा को लेकर कुल 4,675 श्रद्धालुओं का जल्था 169 वाहनों में करमीर में दोनों आधार शिविरों के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों ने कहा कि 2,850 श्रद्धालु 106 वाहनों में पहलगाम के लिए रवाना हुए जबकि 1,825 श्रद्धालु 63 वाहनों में बालटाल आधार शिविर के लिए क्रमशः तड़के साढ़े तीन बजे और पौने चार बजे रवाना हुए।

रामेश्वरम से भाजपा की 'मेरी भूमि, मेरे लोग' यात्रा की शुरुआत करेंगे शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 जुलाई।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में भाजपा की 'एन मन, एन मक्का' (मेरी भूमि, मेरे लोग) यात्रा की शुरुआत 28 जुलाई को रामेश्वरम से करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले दक्षिण के इस राज्य में अपना जनआधार बढ़ाने के मकसद से यह फैसला किया है।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य के लिए पार्टी मामलों के प्रभारी सीटी रवि ने कहा कि यात्रा पांच चरणों में आयोजित की जाएगी और जनवरी के दूसरे सप्ताह में चेन्नई में समाप्त होने से पहले पूरे तमिलनाडु से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह यात्रा पासा पलटने वाली साबित हो सकती है। भाजपा की लोकप्रियता बढ़ रही है और द्रविड़ मुन्नेत्र कणम (द्रमुक) सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। रवि ने प्रश्नाचार और खराब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर एफके स्टालिन ने तन सरकार की आलोचना की। इस पदयात्रा की अगुआई भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे के बावजूद भाजपा अभी तक इस राज्य में कुछ खास नहीं कर सकी है।

Criminal Courts, Ludhiana
In The Court of Ms. Shweta Dasw
JMJC Ludhiana
CNR NO: PBLD03-005207-2020
Peshi : 18.08.2023
publication notice for proclamation under section 82 CR.PC
Kotak Mahindra Bank
Versus
Akash
Notice To: Akash S/O Chaman Lal R/o 560-1, Model Town Near Pruthi Chowk, Panipat, Haryana-132103

COURT NOTICE
In The Court Of Ms. Rasveen Kaur Judicial Magistrate First Class-18, Jalandhar
Amrit Malwa Capital Ltd
Vs.
Prashant Oswal
CNR NO: PBJUL03-021891-2023
Next Date: 22-08-2023
NACT/20352/2022
Publication Issued To: Prashant Oswal Son Of Sh. Bhagchand Oswal Prop. Of Ms Nakoda Automobiles Resident Of Pushp Villa, Ward No 7, Kot Ka Mohalla, Chakusa Jaipur, Rajasthan-303901

फॉर्म नंबर आईएनसी-28
(नियम 30 कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के अनुसार)
पी एम्प्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन: U74899DL1980PTCO10555
पंजीकृत कार्यालय: जी-6, वैकल्प, 82-83, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019
ईमेल आईडी: accounts@pempro.com
केंद्र सरकार के समक्ष
माननीय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में
और इनके मामले में
पी एम्प्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-6, वैकल्प, 82-83, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110 019 में स्थित है।
आवेदक कम्पनी
सार्वजनिक सूचना
एतद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि पी एम्प्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (कम्पनी) का पंजीकृत कार्यालय 'दिल्ली के एनसीटी' से 'हरियाणा राज्य' में स्थानांतरित करने के लिए कम्पनी को सक्षम करने के लिए 13 जुलाई, 2023 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कम्पनी के मेमोबैक ऑफ एंजोसिस्टिशन के बलाजु 11 के परिवर्तन की पुष्टि / स्वीकृति के लिए कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 तथा अन्य लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, के तहत संचालित किया गया है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, तो MCA-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रत्यक्ष दायित्व कर अथवा उपरोक्त पत्र पर पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कम्पनी को उसकी एक प्रतिलिपि के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपसित के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शब्द पत्र द्वारा समझित अपने आपसी क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, जी-2 विंग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजना से केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

COURT NOTICE
In The Court Of Ms. Rasveen Kaur Judicial Magistrate First Class-18, Jalandhar
Amrit Malwa Capital Ltd
Vs.
Shaïd Kurehi
CNR NO: PBJUL03-024017-2022
Next Date: 22-08-2023
NACT/21139/2022
Publication Issued To: Shaïd Kureshi Son Of Abdul Kureshi Resident Of 4707 Davab Khana, Purani Kotvali, Ward No. 52, Yogan ka Charaha, Jaipur 302003 (Rajasthan)
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 22-08-2023 at 10:00 a.m.
for details login to: https://highcourthd.gov.in/?trs=dist rict_notice&district=Jalandhar JMJC-18, Jalandhar

पहचान की अपील

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह व्यक्ति जिसका नाम: अज्ञात, पुत्र: अज्ञात, पता: अज्ञात उमर: लगभग 45 साल, लिंग: पुरुष, कदम: 5 फुट 5 इंच व 5 फुट 7 इंच के बीच, पहनावा: लाल व नीले रंग की टी-शर्ट व ग्रे रंग की पैंट पहने हुए है दिनांक 18.07.2023 को शाम लगभग 7:20 बजे पलाइंडोर, आईजीआई स्टेडियम के पास, आईटीओ, दिल्ली पर बेहोशी की हालत में मिला। उनका 18.07.2023 से एलएनजेपी अस्पताल, दिल्ली में इलाज चल रहा है और अभी भी बेहोशी की हालत में है। थाना अन्तर्गत आई.पी. इस्टेट, दिल्ली।

इस संदर्भ में DD NO.69A & 74A dated 18.07.2023 थाना आई.पी. इस्टेट, दिल्ली में दर्ज है।

हर समय कोशिश के बाद भी जब तक इस बेहोश व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुरांग नहीं मिल पाया है।

यदि किसी भी व्यक्ति को इस बेहोश व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी या सुरांग मिले तो अयोधरहास्यारी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

थाना प्रभारी
थाना- आई.पी. इस्टेट, दिल्ली
DP/8032/CD/2023 (UIDB) फोन: 011- 23370928, 8750870426

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, दिल्ली के समक्ष
वसुंधर तल, जीवन तारा विलिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण को वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के साथ प्रत्येक ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमनवली, 1993) के नियम 12 और 13 के तहत सूचना

OA NO 225/2022 दिनांक 17-07-2023

पंजाब एनड टिंड बैंक विरुद्ध प्रतिवादीगण

मेसर्स रिवायल इंडिया इंटरप्राइजेज एवं अन्य प्रोप. अमित कुमार प्रोप. प्रतिवादीगण

1. श्री अमित कुमार प्रोप. मेसर्स रिवायल इंडिया इंटरप्राइजेज अन्व पता: सी-32, सेक्टर-65 नोएडा, यूपी

2. श्रीमती रवि सिंह पत्नी अमित कुमार मकान सं. बी-13/1, प्रथम तल शिव शक्ति अपार्टमेंट्स सेक्टर-71 नोएडा बुद्ध नगर नोएडा यूपी अन्व पता: सी-32, सेक्टर-65 नोएडा, यूपी

जबकि उपरोक्त नामक ऋणकर्ता (की) ने आपके विरुद्ध रु. 25.61,198.31/- (एक पचीस लाख इकस हज़ार एक सौ अट्ठानवस तथा पैसे इकतीस मात्र) की वसूली के लिए एक वाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषप्रद रूप से यह दर्शाया जा चुका है कि आपको साधारण रूप से सूचना दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए विज्ञापन के रूप में इस सूचना को माध्यम से आपको दिनांक 22-09-2023 को पूर्वी 10.30 बजे इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, वाद की सभी मामलों की सुनवाई सीडिओ को-ऑपरेटिव के माध्यम से की जाएगी और उस प्रयोजन हेतु:- (i) सभी अधिकार/वित्तीय 'Cisco Webex' एप्लीकेशन / सांकेतिकरण डाउनलोड करेंगे; (ii) माननीय पीठासीन अधिकारी / रजिस्ट्रार द्वारा मामलों की सुनवाई की जाएगी तिथि हेतु 'Meeting ID' तथा 'Password' अपनी तारीख से एक दिन पहले ईमेल/आर्टी को ऑनलाइन पॉस्ट नामक 'dtl.gov.in' पर सर्वजनिक सूचना शीर्षक के अंतर्गत प्रकाश होगा। (iii) किसी को न्यायाधिकरण की स्थिति में, अधिवक्ता / विवाद संबंधित पक्षधारियों से फोन नंबर 23748478 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 17 जुलाई, 2023 को लिखित।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा, सहायक रजिस्ट्रार डीआरटी-II, दिल्ली

ड्यूटिच बँक एजी
परिशिष्ट-IV [नियम-8(1)] कच्चा सूचना

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्मिांग तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत ड्यूटिच बँक एजी (बैंक) जिसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर एवं 14वें तल, हिन्दुस्तान अहमदहा हाउस, 18-20 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 में है, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पंढित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 1.12.2021 जारी कर ऋणधारक (' ' ऋणधारक'), श्री प्रमोद कुमार एवं सुशी बनीता जिनदल (' 'सह-ऋणधारक') को उक्त सूचना की प्रतिलिपि की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 3,91,50,763.54 (रु. तीन करोड़ इक्यान्वे लाख पचास हजार सात सौ तिड़सठ पैसे चौवन मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 18 जुलाई, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पंढित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नोंदें वर्णित संपत्ति का पौतिक कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नोंदें वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 3,91,50,763.54 (रु. तीन करोड़ इक्यान्वे लाख पचास हजार सात सौ तिड़सठ पैसे चौवन मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

अब संपत्ति का विवरण मकान सं. 161, ब्लॉक-बी, पॉकेट-9, सेक्टर-4, गौरीगंी, नई दिल्ली-110085, माप 25.90 वर्ग मी. (लगभग) जिसको चौधैदी इस प्रकार है : उत्तर : प्लॉट नं. 160, दक्षिण : प्लॉट नं. 185, पूर्व : खुला, पश्चिम : प्लॉट नं. 186 (सम्पति)

नाताशु.क. पाल प्राधिकृत अधिकारी ड्यूटिच बँक एजी तिथि: 22.7.2023 स्थान: नई दिल्ली

जस्टराइड एंटरप्राइजेज लिमिटेड

सीआईएन: U74899DL1967PLCO04704
पंजीकृत कार्यालय: बी-1, 34/1, विकास हाउस, विकास पथ मार्ग, पूर्वी पंजाबी चाण, दिल्ली 110026 दूरभाष क्रमांक 7065084854 | ईमेल: justridlimited@gmail.com | वेबसाइट: www.justrideenterprises.com

वार्षिक आम बैठक एवं बुक क्लोजर की सूचना
एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एससीए') द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020 के बाद परिपत्र संख्या 02/2021 एवं अन्य प्रत्येक कानूनों एवं भारतीय प्रतिभूति अधिनियम 2008 ('सेबी') परिपत्र दिनांक 12 मई 2020 और 15 जनवरी 2021 के अनुपालन में 57वीं एजीएम के निर्देश में निर्धारित व्यवसाय के लेखन के लिए जस्टराइड एंटरप्राइजेज लिमिटेड के सदस्यों की 57वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') बुधवार, 16 अगस्त 2023 को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विड्युअल साधन (वीसीओएवीएम) सुविधा के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 को वार्षिक रिपोर्ट के साथ 57वीं एजीएम की सूचना शुक्रवार, 21 जुलाई 2023 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उक्त सर्वदलों को भेज दी है, जिनको ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत है। वे दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.justrideenterprises.com पर भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में, सदस्यों का रजिस्टर पुनः, 10 अगस्त, 2023 से बुधवार, 16 अगस्त, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

अधिनियम की धारा 108 और स्थानसंशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और सेबी परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसरण के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि यानी 04 अगस्त, 2023 को भीतिनक या डीमोटेडियवहाइड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से 57वीं एजीएम के निर्देश में निर्धारित व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग को विस्तृत प्रक्रिया/निर्देश 57वीं एजीएम की सूचना में शामिल है।

इस संबंध में, सदस्यों को आगे सूचित किया जाता है कि: 1. आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान हाउस, विकसित पथ मार्ग, पूर्वी पंजाबी चाण, दिल्ली 110026 है। 2. रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 13 अगस्त 2023 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और मंगलवार, 15 अगस्त, 2023 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगा। उपरोक्त अवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3. जिन व्यक्तिओं ने शेयर हस्तिल कर लिए हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं, वे शेयरल लिमिटेड लिमिटेड (एयरलाइनेज) से हेल्प डेस्क नंबर 1800 1020 990/1800 22 44 30 पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर एक ई-मेल भेज सकते हैं।

4. एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभगोभी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के तहत-साथ सामान्य बैठक में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

5. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे वीसीओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में अपना वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. जिन सदस्यों के ईमेल पते कंपनी/आर्टी/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके ईमेल पते के पंजीकरण का तरीका एजीएम नोटिस में उपलब्ध है।

7. स्वीकर पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार और प्रक्रिया का विवरण एजीएम नोटिस में प्रदान किया गया है। यदि आपके पास ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम तथा ई-वोटिंग में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप अक्सर पूछें सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-वोटिंग हेतु ईमेल देख सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-वोटिंग हेतु ईमेल देख सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर ई-वोटिंग हेतु ईमेल देख सकते हैं।